न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ.राजेश गोयल, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 103/2023
GCMS Case No. 2023/237

सायल :– बनाम गैरसायलः–

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

मेहबूब खॉ पुत्र श्री युसुफ उम्र 38 साल जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर,पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 7.3.24

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 10.10.2023 को गैरसायल मेहबूब खॉ पुत्र श्री युसुफ उम्र 38 साल जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2009 से 2017 तक कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। एक प्रकरण न्यायालय में लंबित है तथा पांच प्रकरणों में गैरसायल दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	चालान न. दिनांक	निर्णय
1	334/2009	13 आरपीजीओ	218/12-8-2009	100/– रू. जुर्माना।
2	457/2011	13 आरपीजीओ	287/12-12-2011	100/– रू. जुर्माना।
3	607/2013	13 आरपीजीओ	351/23-10-2013	100/– रू. जुर्माना।
4	04/2015	13 आरपीजीओ	05/08-01-2015	100/– रू. जुर्माना।
5	74/2016	13 आरपीजीओ	15/17-2-2016	100/– रू. जुर्माना।
6	186/2017	13 आरपीजीओ	93/19-4-2017	न्यायालय से पैंडिंग

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल मेहबूब खॉ पुत्र श्री युसुफ उम्र 38 साल जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली अन्य लोगो को भी अपराध करने के लिए प्रेरित करता है। गैर सायल की आपराधिक प्रवृति के चलते आमजन में भी इसका दुष्प्रभाव पड रहा है, इसके कार्यकलापो से की वजह से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। यह व्यक्ति पुलिस कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा अपराध करने की रोकथाम के काफी प्रयास करने के बावजूद भी अपराध करता रहता है व अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राज.)
पाली (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राजस्थान)

इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र पाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब जुआ नही खेलता है न ही अन्य लोगो को इसके लिए प्रेरित करता है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के मुकदमा नम्बर 45/2015 में दिनांक 5.2.2015 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आरपीपीजीओ के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100/- रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया इसी प्रकार माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा) पाली के मुकदमा नम्बर 76/2016 में दिनांक 9.5.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आरपीपीजीओ के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100/- रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल मेहबूब खॉ पुत्र श्री युसुफ उम्र 38 साल जाति मुसलमान निवासी इन्द्रा कॉलोनी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 13 आरपीजीओ के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना रोहट जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 22/3/24 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना रोहट जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी रोहट जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल मेहबूब इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली गैरसायल मेहबूब को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना रोहट जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी रोहट जिला पाली उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी ट्रांसपोर्ट नगर पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी रोहट जिला पाली को भिजवाई जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 7/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली